।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 15.05.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 15.05.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री पी.रामजी, — सदस्य
   अति. महानिदेशक पुलिस,
   कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, — सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, — सदस्य
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, — सदस्य
   उप विधि परामर्शी,
   महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 44 एवं पूर्व में अग्रेषित 02 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 46 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नाकिंत बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	राकेश पुत्र ओमप्रकाश	के.का.श्रीगंगानगर	-
2.	महावीर प्रसाद पुत्र अर्जुन राम	के.का.श्रीगंगानगर	-
3.	ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप	के.का.अलवर	-

4.	कालूलाल उर्फ कालूराम पूत्र संग्राम उर्फ सकराम	के.का.अलवर	–
5.	प्रकाश पुत्र शंकरलाल	के.का.जोधपुर	–
6.	मोहनलाल पुत्र मांगीलाल	के.का.उदयपुर	–
7.	दिनेश पुत्र महावीर	के.का.अलवर	–
8.	इकबाल खान पुत्र मुश्ताक	के.का.अजमेर	–
9.	भागाराम उर्फ भागीरथ पुत्र उदमीराम	के.का.बीकानेर	–
10.	अमर सिंह पुत्र श्रीराम	के.का.जोधपुर	–
11.	लियाकत अली पुत्र अब्दुल रहमान	के.का.अलवर	–
12.	सुनिल कुमार उर्फ सेठी पुत्र दुलीचन्द	उ.सु.का.अजमेर	–
13.	सोहनलाल पुत्र भुरामल	के.का.बीकानेर	–
14.	परमजीत सिंह उर्फ पम्मा पुत्र हरभेज सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	–
15.	सुखजिन्द्र उर्फ सुखा पुत्र सर्दुल सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	–

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम–3 (क)(ज)(ड़) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होगें, का प्रावधान है। इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा एस.बी./ डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2025 की पालना में इन दण्डित बंदियों/याचिकाकर्ताओं को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अत: माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	कालू पुत्र सुवालाल	वि.के.का.श्यालावास दौसा	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर
2.	देवकरण उर्फ किशन केवट पुत्र पप्पूलाल केवट	के.का.कोटा	–
3.	चन्द्रकांत पाठक उर्फ दिलीप पुत्र लोकेश पाठक	के.का.कोटा	–
4.	रामवीर पुत्र भोगीराम	जि.का.टोंक	–

5.	मेवा पुत्र छीतर	के.का.अजमेर	परिजनों द्वारा बंदी के भरण-पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

2. **अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण:-**

(अ)प्रतिबंधित धारा 376/377/पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से:-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र.सं.	बंदी नाम	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	बहारे आलम पुत्र आबिद	के.का.जयपुर	धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
2.	जगदीश उर्फ रणजीत पुत्र नारायण	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(डी) आई.पी.सी. मं आजीवन कारावास से दण्डित। 03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन जिसमें 02 में जेसी वारण्ट में (जमानत नही) 01 में प्रोडक्शन वारंट में।
3.	यशपाल पुत्र मुकन्दी	के.का.श्रीगंगानगर	धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
4.	बलवीर पुत्र रामसिंह	वि.के.का. श्यालावास दौसा	प्रतिबंधित धारा 377 आईपीसी एवं धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
5.	योगेश उर्फ गोविन्द पुत्र रामदेव	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित ।
6.	लालचंद पुत्र नन्दलाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 377 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं धारा 5(एम)(एन)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास (अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन के लिए होगा, शेष प्राकृतिक जीवन में अभियुक्त को किसी भी प्रकार कोई छुट, पैरोल नहीं दी जाएगी तथा उसे जीवन के शेष भाग के अन्तिम सांस तक जेल में निरूद्ध रखा जाएगा) से दण्डित।
7.	सुरेश बैरवा पुत्र रतन बैरवा	वि.के.का. श्यालावास दौसा	धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

8.	दिनेश जाट पुत्र महादेव उर्फ माधु जाट	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
9.	प्रेम कूमार पुत्र हरीश कुमार	के.का.श्रीगंगानगर	धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	हिरालाल उर्फ हिरा पुत्र काना	के.का.उदयपुर	धारा 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार(02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं) एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्ड्रित होने आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	नरेन्द्र शर्मा पुत्र विदयासागर	के.का.बीकानेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं प्रकरण संख्या 19/2017 में धारा 8/21,18(सी)/27 (बी)(II) एनडीपीएस एक्ट में में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा प्रकरण संख्या 22/2019 में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
2.	किशनलाल उर्फ किशनदास पुत्र सीताराम	के.का.उदयपुर	धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित।
3.	जितेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह	के.का.जोधपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन 01 में न्यायिक अभिरक्षा (जमानत नही)।
4.	मनीष उर्फ बबलू पुत्र राजू	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 460, 397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
5.	चन्ना उर्फ जोनी पुत्र राजू	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 460, 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
6.	शक्ति पुत्र हिम्मत	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 460, 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
7.	तेजवीर पुत्र सत्यवीर	जि.का.टोंक	बंदी को 02 अलग-अलग प्रकरणों में 07-07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया है। बंदी 08 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन जेसी वारण्ट (जमानत नही) है एवं बंदी को केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर पर दिनांक 30.01.2025 को मोबाईल बरामद होने पर 01 माह के एसटीडी व केन्टीन सुविधा से वंचित रखने के जेल दण्ड से दंण्डित किया गया है।

8.	प्रहलाद पुत्र रामलाल	के.का.कोटा	धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
9.	मुकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति वैष्णव	के.का.अजमेर	धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
10.	अलाउद्दीन पुत्र सलीमुद्दीन	के.का.श्रीगंगानगर	धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	सुनिल चौधरी पुत्र पारसाराम	के.का.जोधपुर	01 अन्य विचाराधीन प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है। धारा 8/18बी एनडीपीएस एक्ट में दण्डित
12.	कमलसिंह पुत्र मदनसिंह	के.का.उदयपुर	धारा 8/18, 8/21, 8/25 एनडीपीएस एक्ट में 11 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	इसाक मोहम्मद सिन्धी पुत्र यार मोहम्मद	के.का.उदयपुर	धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 11 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
14.	बलविन्द्र सिंह पुत्र जसवीर सिंह	के.का.बीकानेर	धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
15.	मुस्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद उर्फ अख्तर अली	वि.के.का. श्यालावास दौसा	बं.खु.शि. भेड़ उन बीछवाल में निरूद्धीकरण के दौरान पुलिस थाना पापड़दा के द्वारा अन्य प्रकरण में वास्ते अनुसंधान हेतु गिरफ्तार करके दिनांक 21.02.2026 को जेसी वारण्ट सहित जेल दाखिल करवाया गया एवं नियमित पैरोल से दिनांक 08.02.2018 से 26.07.2018 तक फरार रहा।

3. अग्रेषित प्रकरण का विवरण:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	राजेन्द्र गुर्जर उर्फ राजु पुत्र मनोहरलाल गुर्जर	के.का.बीकानेर	बंदी के मानसिक रोगी होने का चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर

(पी.रामजी)
सदस्य
अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर

(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर

(एल.आर.मीणा)
सदस्य
शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर

(सत्यपाल जांगिड़)
सदस्य
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर

(जगमोहन मित्रुका)
सदस्य
उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 15.05.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 15.05.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री पी.रामजी, — सदस्य
   अति. महानिदेशक पुलिस,
   कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, — सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, — सदस्य
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, — सदस्य
   उप विधि परामर्शी,
   महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदी जिंन्हें खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने के कारण इन्हें जेल दाखिल कर दिया गया अथवा खुला बंदी शिविर से फरारी उपरान्त पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया गया, के प्राप्त 14 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 14 प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर में निरूद्धीकरण के दौरान कदाचार किये जाने एवं खुला बंदी शिविर से फरार होने पर इनके द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों का उल्लघंन करने पर समिति द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार इनका खुला बंदी शिविर आंवटन निरस्त कर इन्हें

सजा भुगताने हेतु मूल कारागृह पर भिजवाये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंषा की जाती है, जिसका विवरण निम्न से है :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	बाबू खां पुत्र लाले खां	के.का.जोधपुर	बं.खु.शि.अजमेर से सांयकाल रोलकॉल से दिनांक 24.09.2025 से फरार होने पर पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर में एफ.आई.आर. नं. 278/2025 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस में दर्ज होने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 17.01.2026 को केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।
2.	विजय कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार	के.का.जोधपुर	बं.खु.शि.जैसलमेर से दिनांक 08.01.2026 से फरार होने पर पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर में एफ.आई.आर. नं. 008/2026 अंतर्गत धारा 262बीएनएस दर्ज करवाई। फरारी अवधि के दौरान डीडवाना रेलवे स्टेशन पर जी.आर.पी.डीडवाना के एफआई.आर. संख्या 02/2026 दर्ज होने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 17.01.2026 को जिला कारागृह, जैसलमेर में जेल दाखिल किय जाने के कारण।
3.	ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ	जि.का.बारां	बं.खु.शि.बारां से दिनांक 23.03.2026 को सायंकाल रॉलकॉल से फरार होने पर पुलिस थाना कोतवाली बारां में एफ.आई.आर. नं. 171/2026 दिनांक 23.03.2026 में अंतर्गत धारा 262 बीएनएस दर्ज होने के कारण दिनांक 04.04.2026 को जिला कारागृह, बारां में जेल दाखिल किये जाने के कारण।
4.	किशन सिंह उर्फ उल्फत उर्फ बंटी पुत्र शंकर सिंह	के.का.कोटा	बं.खु.शि.कोटा से दिनांक 09.04.2026 को सायंकाल रॉलकॉल से फरार होने पर पुलिस थाना नयापुरा कोटा में एफ.आई.आर. नं. 0121/2026 दिनांक 10.04.2026 में अंतर्गत धारा 262 बीएनएस दर्ज होने पर दिनांक 11.04.2026 को केन्द्रीय कारागृह, कोटा में जेल दाखिल किये जाने के कारण।

5.	जागीर सिंह उर्फ गुरवीर सिंह पुत्र जगतार सिंह उर्फ बलवीर सिंह	के.का.बीकानेर	बं.खु.शि.बीछवाल से दिनांक 09.04.2026 को फरार होने पर पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. नं. 87/2026 दिनांक 10.04.2026 में दर्ज होने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 12.04.2026 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर जेल दाखिल किये जाने के कारण।
6.	रामकल्याण उर्फ कल्याण पुत्र श्योनाथ	जि.का.बारां	बं.खु.शि.बारां से दिनांक 14.04.2026 को फरार होने पर पुलिस थाना कोतवाली बारां में एफ.आई.आर. नं. 228/2026 दिनांक 14.04.2026 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस में दर्ज होने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 16.04.2026 को जिला कारागृह,बारां में जेल दाखिल किये जाने के कारण।
7.	आशाराम उर्फ आशु पुत्र भंवरलाल	के.का.अजमेर	बं.खु.शि.अजमेर से दिनांक 06.04.2026 को फरार होने पर पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर में एफ.आई.आर. नं. 86/2026 दिनांक 06.04.2026 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस में दर्ज होने पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 07.04.2026 को केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में जेल दाखिल किया गया।
8.	पन्नालाल पुत्र आईदान राम	के.का.बीकानेर	बं.खु.शि.बीछवाल से दिनांक 15.01.2026 को फरार होने पर पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. नं. 17/2026 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस में दर्ज होने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 10.05.2026 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।
9.	बंशीलाल पुत्र भैराराम	जि.का.जैसलमेर	बं.खु.शि.जैसलमेर से दिनांक 20.01.2026 को फरार होने पर पुलिस थाना जैसलमेर में एफ.आई.आर. नं. 23/2026 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस में दर्ज होने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 27.04.2026 को जि.का. जैसलमेर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।

10.	अमरदास उर्फ अमृतदास पुत्र मुरारीलाल	जि.का.धौलपुर	बं.खु.शि.धौलपुर से दिनांक 09.01.2024 को फरार होने पर पुलिस थाना जैसलमेर में एफ.आई.आर. नं. 21/2024 अंतर्गत धारा 224 आईपीसी में दर्ज होने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 29.04.2026 को जिला कारागृह, धौलपुर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।
11.	बलवीर उर्फ टिप्पणा पुत्र ज्ञान सिंह	जि.का.करौली	बं.खु.शि.करौली से दिनांक 30.04.2026 को फरार होने पर पुलिस थाना करौली में एफ.आई.आर. नं. 156/2026 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस में दर्ज होने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 07.05.2026 को जिला करागृह, करौली में जेल दाखिल किया गया।
12.	मुकेश पुत्र रामजीलाल	के.का.जयपुर	बं.खु.शि.सांगानेर से दिनांक 10.01.2025 को फरार होने पर पुलिस थाना मालपुरा में एफ.आई.आर. नं. 12/2025 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस में दर्ज होने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 02.05.2026 को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।

2. <u>अग्रेषित प्रकरण का विवरण :-</u>

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने एवं बंदी खुला शिविर से फरारी उपरान्त इन्हें कारागृह में जेल दाखिल किये जाने पर इनके प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार कर इन बंदियों के प्रकरण में निम्न से आक्षेपों की पूर्ति करवाकर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने एवं इन्हें सजा भुगताने हेतु मूल कारागृह पर भिजवाये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	आक्षेप जिसकी पूर्ति की जानी है
1.	सुरेश पुत्र नरसिंह	के.का.जोधपुर	बंदी के कथनानुसार बं.खु.शि.सांगानेर से दिनांक 15.08.2025 को सांयकाल रॉल कॉल से अनुपस्थित होने पर दिनांक 16.08.2025 को धारा 151 आई.पी.सी. में बंदी को रास्ते में गिरफ्तार कर के.का.जयपुर में जेल दाखिल किया गया। फरारी प्रकरण में दिये गये जेलदण्ड की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

2.	सद्दाम उर्फ बबलू उर्फ डेन्डू उर्फ सरफराज पुत्र मुन्ना	बं.खु.शि.कोटा	बंदी के द्वारा दिनांक 29.04.2026 को पुलिस थाना कैथूनीपोल जिला कोटा शहर क्षेत्र में कदाचार किये जाने के बाद शाम को रॉलकॉल में उपस्थित हो गया। उक्त कदाचार किये जाने पर प्रकरण में दिये गये जेलदण्ड की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक
कारागार,
राजस्थान
जयपुर

(पी.रामजी)
सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार,
राजस्थान
जयपुर

(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार,
राजस्थान
जयपुर

(एल.आर.मीणा)
सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर

(सत्यपाल जांगिड़)
सदस्य
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग,राजस्थान,
जयपुर

(जगमोहन मित्रुका)
सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान,
जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 15.05.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 15.05.2026** को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री पी.रामजी, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 02 बंदी का प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
प्रसन्नदीप उर्फ पर्रा पुत्र सुरेशचन्द	के.का.जोधपुर	227/2026	05.05.2026	08.05.2026
लालचन्द उर्फ लालिया पुत्र कचरूमल	वि.के.का. श्यालवास	956/2026	12.05.2026	13.05.2026

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी प्रसन्नदीप उर्फ पर्रा पुत्र सुरेशचन्द, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 01 अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2016 अंतर्गत धारा 302,452,392 आई.पी.सी. 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 12.03.2018 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.05.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 18.03.2026 की स्थिति में 11 वर्ष 07 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 227/2026 प्रसन्नदीप बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 05.05.2026 पारित किया है कि " Taking note of the aforesaid prayer and without delving into the merits/demerits of the case, respondent Director General Of Prisons, Directorate Prison, Ghatgate, Jaipur (Raj.), is directed to consider and decide the application dated 08.01.2026 filed by the petitioner, within a period of one month from the date of submission of the certified copy of this order,strictly in accordance with law."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2026 की पालना में समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि बंदी पूर्व में समिति की अनुशंषा पर बंदी खुला शिविर, अलवर में निरूद्ध था, जिसे पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड़ के पत्र दिनांक 21.08.2025 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार बंदी की कस्बा बहरोड़ में अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर (प्रसन्नदीप उर्फ पर्रा व अन्य दो साथियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध देशी पिंस्टल व बोलेरो गाड़ी जब्त कर पुलिस थाना बहरोड़ पर प्रकरण संख्या 293/2025 धारा 111(3) बीएनएस व धारा 3/25(6) आर्म्स एक्ट में पंजीकृत होने एवं प्रसन्नदीप उर्फ पर्रा अन्य साथियो के साथ गिरोह बनाकर लगातार संगठित अपराध जैसे हत्या, लूट, डकैती, डरा धमका कर रूपयों की वसूली करना एवं फाईरिंग की घटना कारित करने में सक्रिय होने के कारण कस्बा बहरोड़ में आम जनता व प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं व्यापारियों में भय व्याप्त होना) बंदी का स्थानान्तरण हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर पर करने हेतु निवेदन किये जाने पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.08.2025 के द्वारा उक्त उक्त बंदी का स्थानान्तरण केन्द्रीय कारागृह, अलवर से केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर किया जाकर पत्र दिनांक 27.09.2025 से बंदी खुला शिविर आवंटन निरस्त किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी प्रसन्नदीप उर्फ पर्रा के विरूद्ध बंदी 08 अन्य प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिनमें से 03 प्रकरणों मे जमानत नही हुई है। बंदी, बंदी खुला शिविर, अलवर से दिनांक 14.07.2025

को सायंकाल रॉलकॉल से फरार हो गया, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली अलवर में एफ.आई.आर. संख्या 0542/2025 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस 58बी कारागार अधिनियम में दर्ज करवाई गई। फरारी के दौरान प्रकरण संख्या 293/2025 पुलिस थाना बहरोड़ में अंतर्गत धारा 111(2) बीएनएस व धारा 3/25(6) आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ। जिसमें बंदी न्यायिक अभिरक्षा में है।

अत: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2026 की पालना में बंदी के प्रकरण का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी प्रसन्नदीप उर्फ पर्रा पुत्र सुरेशचन्द** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अग्रेषित प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी लालचन्द उर्फ लालिया पुत्र कचरूमल, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2003 अंतर्गत धारा 302/148,460,376(2)जी,395 आई.पी.सी. में दिनांक 21.06.2003 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया था। गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 21.06.2012 में अंकित है कि "गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.नं. 14/4/2004-ज्युडिशियल सेल दिनांक 08.05.2012 के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित बंदी लालचन्द उर्फ लालिया पुत्र कचरूमल की सजा को आजीवन कारावास की सजा में **इस शर्त के साथ परिवर्तित किया गया है कि उक्त बंदी जीवन पर्यन्त जेल में रहेगा तथा इनकी सजा का कोई लघुकरण नही किया जायेगा।"**

बंदी द्वारा सजा कां एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। तत्समय समिति द्वारा बंदी को उक्तानुसार सजा होने को दृष्टिगत रखते हुए बंदी का कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 956/2026 लालचन्द बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 12.05.2026 पारित किया है कि " We have considered the submissions made by the bar and have gone through the relevant record of the case.We find that the case of the present convict-petitioneris almost same to the case of Vedprakash @ Vediya (supra), therefore, the convict-petitioner is also entitled for transfer from Central Jail, Bikaner to Open Air Camp, Bikaner inaccordance with the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972. In view of the above discussions, the present D.B.Criminal Writ Petition merits acceptance

and the same is allowed. The respondents are directed to transfer the convict-petitioner from Central Jail, Bikaner to Open Air Camp wherever the vacancy is available. Needless to say that the convict-petitioner shall be required to fulfill all other requisite formalities for the same.''

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.05.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 13.05.2026 की स्थिति में 27 वर्ष 03 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। बंदी को अंतर्गत धारा 302/148, 460, 376(2)जी, 395 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने को दायर याचिका के निर्णय अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ.नं. 14/04/2004 ज्यडिसियल सेल दिनांक 08.05.2012 द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 72 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदी की मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में इस शर्त के साथ परिवर्तन किया है कि बंदी जीवनपर्यन्त जेल मे रहेगा तथा इस सजा का कोई लघुकरण नही किया जायेगा।

अत: समिति द्वारा सर्वसम्मति से ''महामहिम. राष्ट्रपति द्वारा बंदी की सजा में अंकित शर्त के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2026 की पालना में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत प्रकरण पर विचार किया जाना है अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2026 चुनौती योग्य है,'' इस बाबत राजकीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से विधिक राय प्राप्त की जाकर तद्नुसार प्रकरण निस्तारण हेतु आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(पी.रामजी)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर